झारखंड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

-:आदेश:-

सं०सं०-02/वि1-08/2022............................./विभागीय आदेश संख्या-1482 दिनांक-29.07.2025 के द्वारा 'झारखंड प्रारम्भिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, 2023' के अंतर्गत इन्टरमीडियट प्रशिक्षित सहायक आचार्य (कक्षा-1 से 5) के अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जाँच हेतु स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक /स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक / सहायक शिक्षक (कक्षा-6 से 8) एवं विभागीय ज्ञापांक-1483 दिनांक-29.07.2025 द्वारा प्रमाण पत्र जाँच प्रक्रिया के सफल संचालन एवं अनुश्रवण हेतु विभागीय पदाधिकारियों को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में प्रमाण पत्र जाँच प्रक्रिया पूर्ण होने तक के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है।

2. समयबद्धता के अंतर्गत अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का जाँच कार्य पूर्ण करने के लिए प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं शिक्षकों को घोषित सार्वजनिक छुट्टी (शनिवार एवं रविवार) के दिन भी कार्य लिए जाने की संभावना है।

3. अतः उपरोक्त पदाधिकारियों एवं शिक्षकों के द्वारा सार्वजनिक छुट्टियों की अवधियों में कार्य लिए जाने की स्थिति में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची के पत्रांक-5163 दिनांक-21.06.2016 द्वारा क्षतिपुरक अवकाश के संदर्भ में निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं शिक्षकों को अनुमान्य क्षतिपुरक अवकाश देय होगा।

4. उक्त पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(अरशद जमाल)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-02/वि1-08/2022...1505.../ **राँची, दिनांक.. 31/07/25.../**

प्रतिलिपि:-निदेशक, प्राथमिक / माध्यमिक शिक्षा, झारखंड /सभी संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, सभी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक, झारखंड / सभी संबंधित अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी संबंधित क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, झारखंड / सभी संबंधित प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक / प्राचार्य /प्रभारी प्राचार्य, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31.7.25

सरकार के अवर सचिव।

Scanned with OKEN Scanner